न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चन्दौली।
उपस्थितः इशरत परवीन फारूकी, उ.प्र. न्यायिक सेवा ।
आपराधिक परिवाद संख्याः 551/2018
UPCD040005162018

दीपक कुमार पुत्र स्व. रामआश्रय राम निवासी क्वार्टर नं0 403/एफ लोको कालोनी, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

...../परिवादी

बनाम

1.विजय कुमार यादव पुत्र स्व. सुक्खू यादव निवासी ग्राम हृदयपुर, थाना मुगलसराय, जिला चन्दौली।

.../अभियुक्त

अं.धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम
थाना– मुगलसराय, जनपद–चन्दौली।

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी दीपक कुमार के द्वारा अभियुक्त विजय कुमार यादव के विरूद्व परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा– 138 के तहत संस्थित किया गया है।

संक्षेप में परिवाद पत्र में कथन किया गया है कि–विपक्षी रेलवे में कैरेज एण्ड वैगन मुगलसराय (पूर्व मध्य रेलवे) में हेल्पर (फीटर) के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी से विपक्षी ने आज से करीब दो वर्ष पहले समक्ष गवाहान 3,50,000 (तीन लाख पचास हजार) नगद वास्ते घर बनवाने व निजी जरूरियात खर्च के लिये लिया था तथा दो माह के अंदर पैसा वापस करने की बात किया था। प्रार्थी दो माह पश्चात जब विपक्षी से अपने पैसों की मांग किया तो आज कल कहते हुये दो वर्ष तक पैसा वापस नहीं किया। प्रार्थी जब समक्ष गवाहान दिनांक 11.12.2017 को मुगलसराय बाजार में जी.टी. रोड काली मंदिर के पास विपक्षी को पुनः पैसा वापस करने के लिये कहा तब उसने गवाहों के समक्ष अपना चेक बुक नं0 018468 रकम 3,50,000 (तीन लाख पचास हजार) रूपये का प्रार्थी के नाम से काट कर दे दिया। प्रार्थी ने उपरोक्त चेक नं0 018468 को अपने एक्सिस बैंक शाखा मुगलसराय के खाते में दिनांक 12.12.2017 को जमा कर दिया तब उक्त चेक के भुगतान के बाबत दिनांक 13.12.2017 को सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मुगलसराय चन्दौली द्वारा ''रिटर्न मेमो'' दिया कि खाते में पर्याप्त पैसा नहीं है। प्रार्थी ने दिनांक 14.12.2017 को जब बैंक गया व उपरोक्त घटना की जानकारी हुई तो पुनः विपक्षी से जाकर ड्यूटी में मिला तब उसने कहा कि आप बैंक में वापस जाकर चेक जमा कर दें, मैं बैंक मैंनेजर को कहकर पेमेंण्ट करा दूँगा। प्रार्थी विपक्षी के विश्वास में होकर उपरोक्त चेक को पुनः दिनांक 14.12.17 को बैंक जाकर चेक जमा कर दिया तथा दिनांक 16.12.17 को अपने एक्सिस बैंक शाखा मुगलसराय गया तो पुनः उपरोक्त चेक वापस करते हुये साथ में ''रिटर्न मेमो'' दिनांक 15.12.2017 को साथ में दिया है जिस पर नोट वापस

Digitally signed by ISHRAT PARVEEN FARUQUI
Date: 2025.07.18 16:37:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निकासी के पुनः चेक प्रस्तुत न करें, कालम 99 में दर्ज है। प्रार्थी उपरोक्त चेक को लेकर उपरोक्त गवाहों के साथ दिनांक 16.12.2017 को ही विपक्षी से मिला तथा कहा कि आप चलकर स्वयं पैसा निकालकर हम प्रार्थी को दे देवें, तब विपक्षी ने बैंक जाने व पैसा वापस देने में हिला हवाली करने लगा तब पुनः मैं दिनांक 17.12.2017 को चन्दौली कचहरी आकर अपने वकील साहब से मिला तथा सम्पूर्ण घटना की जानकारी दिया। इसके पश्चात प्रार्थी/वादी के अधिवक्ता ने विपक्षी को एक नोटिस रजिस्टर डाक से दिनांक 18.12.2017 को भेजा। उपरोक्त नोटिस प्राप्त करने के पश्चात विपक्षी प्रार्थी से 26.12.2017 को मिला तथा चेक मांगने लगा, प्रार्थी अपना उपरोक्त पैसा की मांग किया तब उसने स्पष्ट तौर से कह दिया कि मैं पैसा नहीं दूँगा जो कुछ करना है कर लो। उपरोक्त के आधार पर विपक्षी को तलब कर दण्डित करने तथा प्रार्थी का धन विपक्षी से वसूल कर दिलाये जाने की याचना न्यायालय से की गयी है।

परिवादी ने परिवाद के समर्थन में प्रश्नगत चेक, नोटिस आदि की प्रतियॉ दाखिल की गयी है।

परिवाद पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं प्रपत्रों के आधार पर न्यायालय ने आदेश दिनांकित 06.07.2018 के माध्यम से अभियुक्त विजय कुमार यादव को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत विचारण हेतु तलब किया गया।

अभियुक्त पत्रावली पर उपस्थित आया और अपनी जमानत करायीं। अभियुक्त का बयान मुल्ज़िम दिनांक 08.05.2019 को अंकित किया गया। अपने बयान में अभियुक्त ने घटना से इंकार करते हुए कहा कि उसके विरूद्व रंजिशन मुकदमा चला है।

परिवादी की ओर से पी.डब्लू–1 दीपक कुमार का सशपथ साक्ष्य अंकित किया गया है।

अभियुक्त का बयान अं.धारा– 313 दं.प्र.सं. दिनांक 20.05.2024 को अंकित किया गया। अपने बयान में अभियुक्त ने परिवाद कथानक में लोन लेने हेतु चेक दिये जाने, रंजिशन मुकदमा चलाने तथा परिवादी के बयान के संबंध में कुछ नहीं कहा है। उसने सफाई प्रस्तुत करने की इच्छा व्यक्त की।

अभियुक्त के द्वारा अपने सफाई साक्ष्य में कहा गया कि अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में परिवादी द्वारा प्रेषित विधिक नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया है।

मैने परिवादी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों का सम्यक् रूप से अवलोकन किया।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा मौखिक रूप से बहस करते हुए यह कथन किया गया कि प्रस्तुत परिवाद परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत मुख्यतः इस आधार पर लाया गया है कि अभियुक्त द्वारा चेक नम्बर–018468 दिनांकित 11.12.2017 मु. –3,50,000/–रूपये का स्व–हस्ताक्षरित सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा मुगलसराय, का वादी मुकदमा दीपक कुमार को दिया गया, जिसे भुगतान हेतु खाते में जमा किया, परन्तु खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण उक्त चेक अनादृत हो गया। अभियुक्त को नोटिस भेजी गयी, परन्तु उसके द्वारा भुगतान नहीं किया गया। अतः परिवादी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त विजय कुमार यादव को न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.07.2018 के द्वारा धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत तलब किया गया। परिवादी के द्वारा अपने बहस में यह भी कथन किया कि गया है कि परिवादी ने अभियुक्त को निजी जरूरत खर्च के लिये उक्त धनराशि को दिया था। जिसका भुगतान नहीं किया गया है, जिसकी रसीद पत्रावली में संलग्न है। इस आधार पर परिवादी का वाद साबित होता है। अतः अभियुक्त को दण्डित करते हुये उपरोक्त धनराशि दिलाये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा लिखित बहस दाखिल करके यह कथन किया गया कि उपरोक्त मुकदमा में मात्र परिवादी का ही साक्ष्य अंकित किया गया है। परिवादी ने परिवाद पत्र में जो गवाहों की सूची दी है, उसमें से अन्य कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया है। बचावपक्ष पक्ष ने जो चेक परिवादी को दिया था जिसका दुरूपयोग कर परिवादी ने बगैर विपक्षी को सूचित किये अपनी खाते में प्रस्तुत कर अनादरित करा लिया जो कि विधि सम्मत नहीं है। बावजूद इसके गारण्टी के तौर पर दिये गये चेक को गलत तौर पर बैंक में प्रस्तुत करके बाउन्स कराकर विपक्षी को धोखा देने की गरज से उपरोक्त परिवाद प्रस्तुत किया है जो हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परिवादी एवं अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का विश्लेषण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 का उल्लेख किया जाना अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है।

परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा–138–लेखों में जमा राशि अपर्याप्त होने आदि के कारण चेकों का अनादृत हो जाना– जहॉ किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंक में संधारित अपने खाते में से अपने किसी ऋण अथवा दायित्व से भागतः या पूर्णतः उन्मोचित होने के लिए कोई चेक दिया जाता है और वह चेक खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण अथवा पहले से ही उस खाते में से किन्हीं व्यक्तियों को संदाय करने का करार कर दिये जाने के कारण बैंक द्वारा भुगतान किये पुनः लौटा दिया जाता है, वहॉ यह समझा जायेगा कि उस व्यक्ति ने अपराध कारित किया है और उसे इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उतनी अवधि के कारण से जो कि एक वर्ष तक की हो सकेगी अथवा उतनी राशि के जुर्माने से जो चेक की राशि से दुगुनी तक हो सकेगी अथवा दोनो से दण्डित किया जायेगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात तब तक लागू नहीं होगी, जब तक कि–

(क) वह चेक जारी होने की तिथि से छः मास के अन्दर अथवा उसके विधिमान्य रहने की अवधि के अन्दर, जो भी पूर्व हो, बैंक में पेश हीं कर दिया जाता,

(ख) चेक के अधीन राशि पाने वाला अथवा सामान्य अनुक्रम में चेक का धारक, यथास्थिति, बैंक से चेक के अनादृत होकर लौटने की तिथि से ' पन्द्रह दिन' के अन्दर चेक और लेखीवाल को शोध्य राशि का सन्दाय करने के आशय की सूचना नहीं देता, और

(ग) लेखीवाल उस सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के अन्दर उस व्यक्ति को जो चेक के अधीन राशि प्राप्त करने वाला हो अथवा जो सामान्य अनुक्रम में चेक का धारक हो, उस राशि का सन्दाय करने में असफल नहीं रहता।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनार्थ ''ऋण अथवा दायित्व'' से अभिप्राय विधितया प्रवर्तनीय ऋण अथवा दायित्व से है।

उपरोक्तानुसार परिवादी को अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत अपराध को साबित करने हेतु निम्नलिखित आवश्यक तत्व साबित करने होंगे :–

1. अभियुक्त द्वारा स्व–धारित खाते से परिवादी को चेक जारी किया गया था।

2. चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन हेतु जारी किया गया था।

3. चेक बैंक में दाखिल करने पर अनादृत हो गया हो।

4. चेक जारी करने के छः माह के भीतर बैंक में दाखिल किया गया हो।

5. चेक अनादरण की सूचना प्राप्त होने पर धनराशि की मांग हेतु तीस दिन के भीतर अभियुक्त को नोटिस दी गयी हो।

6. नोटिस से पन्द्रह दिन के भीतर अभियुक्त धनराशि का भुगतान करने में असफल हो गया हो।

परिवादी के द्वारा अपने कथन को साबित करने के लिए मौखिक साक्षी के रूप में साक्षी पी. डब्लू–1 दीपक कुमार को परीक्षित कराया है। परिवादी साक्षी पी.डब्लू.1 दीपक कुमार द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में परिवाद के कथानक का समर्थन किया है।

परिवादी साक्षी पी.डब्लू.1 दीपक कुमार के द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि–विपक्षी/अभियुक्त विजय कुमार यादव जो कैरेज एवं वैगन मुगलसराय पूर्व मुख्य रेलवे में फीडर के पद पर कार्यरत हैं। मैंने विजय कुमार को लगभग तीन वर्ष पूर्व 3,50,000/–रूपये नकद उधार के तौर पर दिया था। विजय कुमार से दिनांक 11.12.2017 को पैसा वापस करने के लिये कहा तो उन्होंने अपना चेक बुक से चेक सं. 018648 रकम मु. 3,50,000/–रूपये का दिया। मैंने शाखा मुगलसराय के अपने खाते में दि. 12.12.2017 को जमा कर दिया। दि. 13.12.2017 को जब अपने बैंक में उस पैसे को निकालने गया तो बैंक द्वारा सेण्ट्रल बैंक शाखा मुगलसराय लिखित रिटर्न मेमो दिया। इसके पश्चात मैंने दि. 14.12.2017 को पुनः अपने बैंक एक्सिस बैंक मुगलसराय के खाते में उक्त चेक को जमा कर दिया। दि. 15.12.2017 को भुगतान हेतु अपने बैंक में गया तो वहॉ बैंक द्वारा सेण्ट्रल बैंक शाखा मुगलसराय द्वारा रिटर्न मेमो में नोट लिखकर भेजा गया है कि निकासी हेतु पुनः चेक न प्रस्तुत करें। मैंने विजय कुमार से अपने धन की मांग किया तो उन्होंने पैसा देने से इंकार कर दिया। तब मैंने चन्दौली कचहरी में अपने अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस दिनांक 18.12.2017 को जरिये पंजीकृत डाक विजय कुमार यादव को दिया। विजय कुमार यादव दिनांक 26. 12.2017 को मुझसे मिला और दिये गये चेक को वापस मांगने लगा। मेरे द्वारा पैसे की मांग की गयी तब उसने पैसे देने से इंकार कर दिया। उसकी नियत मेरे द्वारा दिये गये रूपये की हड़पने की हो गयी है, न ही विपक्षी ने रूपया वापस किया, न ही उपरोक्त चेक में वर्णित धनराशि वापस किया। उपरोक्त धनराशि न मिलने पर मैंने उक्त परिवाद पत्र इस न्यायालय में दाखिल किया।

साक्षी पी.डब्लू.1 ने अपने जिरह के पृष्ठ संख्या–4 व 5 में यह कथन किया है कि ''हम विजय को बैंक में लोन दिलाने में मदद नहीं किया था और न ही किसी और के बैंक से लोन दिलाने का मदद किया था। हमने विजय यादव को नगद तीन लाख पचास हजार विश्वास व व्यवहार पर दिया था। जिस समय मैं नगद पैसा दिया था तो उस समय मेरा स्टाफ एक अनिल कुमार सिंह थे एक लड़का देवाशीष कुमार था। मुझे याद नहीं है कि वो कौन सी तारीख थी जो मैंने भुगतान किया था। लेकिन सन 2014 था, दिन, तारीख याद नहीं है। लेकिन समय लगभग 11.00 बजे। यह भुगतान मेरे घर पर हुयी थी। भुगतान करने के एवज में उस समय कोई चेक प्राप्त नहीं किया था। जिस समय हमने भुगतान किया, उस समय आपस में कोई लिखा पढ़ी नहीं हुयी थी। मैं तीस साल से नौकरी कर रहा हूॅ। मेरे द्वारा दी गयी रकम घर में मौजूद थी।'' इस साक्षी ने आगे कथन किया कि– जिस समय कर्ज दिया था उस समय मेरी आय प्रतिमाह पैंतीस हजार रूपये बतौर वेतन थी। ड्यूटी पीरियड में मैंने अपने पैसे की मांग करता तो केवल अनिल रहते थे।

जिरह के क्रम में साक्षी ने पृष्ठ–6 पर कहा कि–मेरे घर पर नगद पैसे का लेन–देन हुआ। उस समय मेरे दोनों गवाह अनिल कुमार सिंह व देवाशीष मौजूद थे। इन्होंने हमें दो माह का समय दिया था कि जमीन बेचकर दे दूॅगा, पेमेंण्ट की बात हमने विजय से की। उस समय मेरे दोनों गवाह अनिल सिंह व देवाशीष सिंह उपस्थित थे। उस समय विजय ने तुरंत चेक बुक निकालकर एक चेक फाड़ करक उसमें भुगतान राशि, वादी का नाम भरकर व हस्ताक्षर करके वादी को दे दिये, यह घ ाटना मुगलसराय बाजार में काली जी मंदिर के समीप हुयी थी। इस साक्षी ने जिरह के पृष्ठ–7 पर कथन किया कि नोटिस पर हमारे वकील साहब का हस्ताक्ष्ज्ञर है, मेरा नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं है। मेरे वकील साहब ही नोटिस को भेजे, नोटिस टाइप शुदा था, नोटिस भेजने के बाद वकील साहब बताये कि एक महीना के अंतराल बाद मुकदमा दाखिल होगा। मुझे जानकारी थी कि 138 एन.

आई. एक्ट का मुकदमा दाखिल होगा। यह मुकदमा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली के न्यायालय में दाखिल होगा। नोटिस को मैंने पढ़ा था, भेजने के पहले मैंने नोटिस पढ़ा था। फोटो कापी मेरे पास था उसको मैंने पढ़ा था, पढ़ने के बाद मुझे लगा कि वकील साहब ने जो नोटिस भेजा है वह सही है।

इस साक्षी ने जिरह के पृष्ठ–11 पर कथन किया कि वह रेलवे कर्मचारी है, लोन दिलाने में मेरी कोई मदद नहीं रही, न ही लोन दिलाया हूॅ, न ही कोई चेक भी प्राप्त किया हूॅ इस संबंध में। उपरोक्त कोई कागजात मैं नहीं लिया था। इसी क्रम में आगे–पैसा देने का वादा किया लेकिन नहीं दिये। जिरह के पृष्ठ–14 पर कथन किया कि चेक का नम्बर उसे याद नहीं है। दिनांक 11.12.2017 को दिया था। दिनांक 12.12.2017 को लगाया गया दिनांक 13.12.2017 को मेमो मिला, फिर दुबारा दिनांक 14.12.2017 को लगाया गया और दिनांक 16.12.17 को बाउंस मेमो मिला। दिनांक 13.12.17 को मुझे बाउंस की जानकारी हुयी है, दिनांक 14.12.17 को चेक लगाया था और दिनांक 16.12.17 को पुनः मुझे बाउंस की जानकारी हुयी। रिटर्न मेमो दिनांक 16.12.17 को मिला। विजय यादव से पैसा वापस करने की मांग करने के बाद दिनांक 13.12.17 एवं 16.12.17 को मिला था। मेरे द्वारा विजय यादव को 2014 में उक्त पैसा नगद दिया गया था।

साक्षी पी.डब्लू.1 के द्वारा जिरह में किये गये उपरोक्त कथन से यह साबित होता है कि विपक्षी को उपरोक्त धनराशि दी गयी है।

साक्षी पी.डब्लू.1 के द्वारा अपने जिरह के पृष्ठ संख्या–6 में यह कथन किया है कि '' मेरे घर पर नगद पैसे का लेन देन हुआ है उस समय मेरे दोनों गवाह अनिल कुमार सिंह व देवाशीष मौजूद थे। इन्होंने हमें दो माह का समय दिया था कि जमीन बेचकर दे दूॅगा।''

परिवादी की जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे उसके द्वारा दी गयी मुख्य परीक्षा के कथानक का खण्डन होता हो।

इसके अतिरिक्त साक्षी पी.डब्लू. 1 के द्वारा जिरह में किये गये उपरोक्त कथन से यह साबित होता है कि परिवादी ने उक्त धनराशि विपक्षी को नगद दी थी।

परिवादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पत्रावली पर मूल चेक की छाया प्रति कागज संख्या–6–अ/1 चेक संख्या–018468 दिनांकित 11.12.2017 सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया मु. 3,50,000/–रूपये एवं रिटर्न मेमो 13.12.2017 एवं 15.12.2017 चेक नम्बर– 018468 दाखिल किया गया है। उक्त चेक के परिशीलन से दर्शित है कि उक्त चेक विजय कुमार यादव द्वारा परिवादी दीपक कुमार के पक्ष में जारी किया गया है। पुनः परिवादी द्वारा उक्त चेक के सम्बन्ध में रिटर्न मेमो दिनांकित 13.12.2017 एवं 15.12.2017 पत्रावली पर दाखिल किया है। रिटर्न मेमो के परिशीलन से दर्शित है कि प्रश्नगत चेक बैंक में दाखिल करने पर इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया कि धन की कमी। पत्रावली पर अभियुक्त विजय कुमार यादव को प्रश्नगत चेक के सम्बन्ध में परिवादी दीपक कुमार के अधिवक्ता द्वारा दिए गए नोटिस दिनांकित 18.12.2017 की कार्बन प्रति कागज संख्या–7–अ दाखिल की गयी है, जिसके परिशीलन से दर्शित है कि उक्त नोटिस में प्रश्नगत चेक की धनराशि की मांग अभियुक्त से की गयी है जो कि रिफ्यूजल के आधार पर दिनांक 18.12.2017 को वापस किया गया है, जिसकी मूल रजिस्ट्री पत्रावली पर कागज संख्या–8अ दाखिल है। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा–138 के अपराध के लिये चेक 6 माह के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिये। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के द्वारा दिनांक 11.12.2017 को चेक दिया गया था जिसे परिवादी ने दिनांक 12.12.2017 व 15.12.2017 को बैंक में प्रस्तुत किया, बैंक के द्वारा दिये रिटर्न मेमो दिनांकित 13.12.2017 एवं 15.12.2017 के अनुसार चेक के लेखीवाल अर्थात अभियुक्त के बैंक एकाउंट में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक अनादृत हो गया। उसके पश्चात परिवादी के

द्वारा दिनांक 18.12.2017 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षी को नोटिस दी गयी जिसके पश्चात नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के भीतर चेक की धनराशि का भुगतान न होने पर परिवादी के द्वारा दिनांक 10.01.2018 को अभियुक्त के विरूद्ध परिवाद पत्र दाखिल किया गया।

अभियुक्त के द्वारा यह कथन किया गया कि परिवादी ने उससे लोन दिलाने के लिये चेक लिया था उसने अपना हस्ताक्षरित चेक परिवादी को बैंक से लोन प्राप्त कराने के अनुक्रम में दिया था। किंतु अभियुक्त के द्वारा अपने उक्त कथन को साबित करने के लिये कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया है। इस प्रकार उसने चेक जारी करना स्वीकार किया है। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा–139 चेक के धारक के पक्ष में उपधारणा से सम्बंधित है जिसके अनुसार जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न हो, यह उपधारणा की जाएगी कि ''चेक के धारक ने धारा–138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिये प्राप्त किया है।'' इस प्रकार परिवादी के पक्ष में यह उपधारणा की जायेगी कि, अभियुक्त द्वारा उसे चेक किसी ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिये दिया है जब तक अभियुक्त अपने साक्ष्य से उक्त उपधारणा को खण्डित न कर दे।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय **रंगप्पा बनाम मोहन 2010(11)ए.सी.सी.** में यह मत व्यक्त किया है कि धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत की गयी उपधारणा एक खण्डनीय उपधारणा है। चेक के जारी होने के बाद चेक के विधितः परिवर्तनीय ऋण की देनदारी के लिए अदा किया गया है तथा चेक के बाउंस होने की स्थिति में अभियुक्त पर आपराधिक दायित्व बनता है। इन सभी तथ्यों का खण्डन करने का दायित्व अभियुक्त पर आता है।

किंतु प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में अथवा परिवादी के पक्ष में दिया गया चेक की किसी ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिये नहीं दिया गया है, इस तथ्य को साबित करने के लिये कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, इस प्रकार परिवादी के पक्ष में यह उपधारणा की जायेगी की, अभियुक्त के द्वारा परिवादी के पक्ष में जारी चेक उसके ऋण एवं दायित्व के उन्मोचन के लिये दिया गया है।

उपरोक्त उभयपक्ष के मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि मामले में वर्णित विवादित चेक नम्बर चेक संख्या–018468 दिनांकित 11.12.2017 सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया मु. 3,50,000/–रूपये के बावत परिवादी दीपक कुमार के पक्ष में जारी किया गया था, जिस पर विपक्षी विजय कुमार यादव के हस्ताक्षर थे, जिसको कि परिवादी के द्वारा दिनांक 12.12.2017 को बैंक में लगाया गया तथा दिनांक 13.12.2017 व 15.12.2017 को उपरोक्त चेक फण्डस इनसफीसियंट के आधार पर वापस कर दिया गया। परिवादी के द्वारा उक्त चेक के बावत अभियुक्त पक्ष को दिनांक 18.12.2017 को नोटिस भी दिया गया जो कि रिफ्यूजल के आधार पर वापस किया गया। चेक समय सीमा के भीतर ही प्रस्तुत किया गया है तथा 30 दिन के अन्दर रजिस्टर्ड डाक के द्वारा अभियुक्त को नोटिस भी दिया गया है तथा रिफ्यूजल के 15 दिन के अन्दर कोई भुगतान न होने के उपरान्त परिवादी के द्वारा दिनांक 10.01.2018 को परिवाद प्रस्तुत किया गया है जो परक्राम्य लिखित अधिनियम के अन्तर्गत दिये हुए परिसीमा काल के अन्दर है। उपरोक्त तथ्य धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के आवश्यक तत्वों को पूर्ण करते हैं, जिससे यह साबित होता है कि अभियुक्त विजय कुमार यादव के द्वारा परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 का उल्लंघन किया गया है।

इस प्रकार परिवादी द्वारा यह तथ्य साबित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अपने द्वारा बैंक में संधारित खाते में से चेक दिया गया। उक्त चेक ऋण से उन्मोचित होने के लिए दिया गया। वह

चेक खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण अनादृत हो गया। प्रश्नगत चेक जारी होने की तिथि से छः मास के अंदर बैंक में प्रस्तुत कर दिया गया था। परिवादी द्वारा अभियुक्त को चेक अनादरण की सूचना प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर कानूनी नोटिस शोध्य राशि का संदाय करने हेतु प्रेषित की गयी एवं अभियुक्त द्वारा सूचना प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर उक्त राशि का संदाय नहीं किया गया एवं परिवादी द्वारा विधि द्वारा विहित अवधि के भीतर परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार परिवादी द्वारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के समस्त आवश्यक तत्वों को साबित किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का अपराध सन्देह से परे साबित होता है। इस प्रकार अभियुक्त विजय कुमार यादव को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त विजय कुमार यादव जमानत पर है। उसके जमानतनामें निरस्त तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त विजय कुमार यादव को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाय। दण्ड के बिन्दु पर सुने जाने हेतु पत्रावली 4:00 बजे पेश हो।

(इशरत परवीन फारूकी),
दिनांकः 18.07.2025 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चन्दौली।
ID NO-UP2266

<u>समय 4:00 बजे–</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त विजय कुमार यादव न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है। सजा पर सुनवाई के पूर्व परिवीक्षा अधिनियम के विषय में विचार किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत मामला चेक बाउंस होने के सम्बन्ध में है, इसलिए परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिए जाने का मामला बनना प्रतीत नहीं होता है।

दण्ड के प्रश्न पर परिवादी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाय एवं चेक धनराशि की दुगुनी धनराशि प्रतिकर के रूप में दिलवाया जाय। जबकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त अत्यन्त गरीब व्यक्ति है तथा विवादित चेक गारण्टी के तौर पर दिया गया था। उसे न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाय।

समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त विजय कुमार यादव को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत दो वर्ष के साधारण कारावास तथा मु. **3,75,000/–**रूपये (तीन लाख पच्छत्तर हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने पर न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति संभाव्य प्रतीत होती है एवं आरोपित जुर्माने में से प्रश्नगत चेक में वर्णित धनराशि मु. **3,50,000/–**रूपये (तीन लाख पचास हजार रूपये) परिवादी को प्रतिकर के रूप में प्रदत्त किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त विजय कुमार यादव को आपराधिक परिवाद संख्या–551 / 2018 अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन दोषी पाते हुए 02 वर्ष(दो वर्ष) के साधारण कारावास तथा मु. **3,75,000 / –**रूपये (तीन लाख पच्छत्तर हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि में से प्रश्नगत चेक में वर्णित धनराशि मु. **3,50,000 / –**रूपये (तीन लाख पचास हजार रूपये) परिवादी को प्रतिकर के रूप में प्रदत्त किया जायेगा। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त 03 माह(तीन माह) की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगेगा।

अभियुक्त को उक्त निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाये।

(इशरत परवीन फारूकी),
दिनांकः 18.07.2025 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चन्दौली।
ID NO-UP2266

उक्त निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इशरत परवीन फारूकी),
दिनांकः 18.07.2025 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चन्दौली।
ID NO-UP2266